

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर)

(Email- secrat@rajasthan.gov.in, Ph. 0141-2227280, 2227072, 2227407)

क्रमांक:एफ. 7(1)(1) / पंचा / रानिआ / 2019 / १०३०

दिनांक: 21/01/2020

समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी,
(कलक्टर) (पंचायत) राजस्थान।

विषय :—पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव 2020 — मतदान दलों के लिए निर्देश।

महोदय,

आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पंच एवं सरपंचों के लिए प्रथम चरण का मतदान दिनांक 17.01.2020 को संपन्न हो गया है। प्रथम चरण के मतदान हेतु पर्यवेक्षकों द्वारा अपनी रिपोर्ट के माध्यम से आयोग के ध्यान में लाए गए निम्न बिन्दुओं के संबंध में आयोग द्वारा निम्नलिखित निर्देश प्रदान किए जाते हैं:—

1. मतदान दलों के कार्मिकों द्वारा मोबाइल फोन के उपयोग के संबंध में :— पर्यवेक्षकों द्वारा आयोग को अवगत कराया गया है कि मतदान एवं मतगणना स्थल पर कार्मिकों द्वारा बार-बार (Frequently) मोबाइल फोन का उपयोग किया गया। मतदान एवं मतगणना केन्द्रों पर मोबाइल फोन के उपयोग के संबंध में आयोग द्वारा पत्रांक 6726 दिनांक 24.12.2009 के द्वारा पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव, 2010 हेतु दिशा-निर्देश जारी किए गए थे। आयोग के पत्रांक 6198 दिनांक 24.12.2019 के द्वारा उक्त निर्देशों को इन आम चुनावों के लिए भी लागू किया गया है।

अतः इस संबंध में निर्देश प्रदान किए जाते हैं कि पंच एवं सरपंचों के द्वितीय एवं तृतीय चरण के चुनावों में उक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने के साथ ही मतदान एवं मतगणना कार्य में नियोजित कार्मिकों को निर्देश प्रदान करें कि निर्वाचन कर्तव्यों के निर्वहन के अतिरिक्त मोबाइल फोन का उपयोग नहीं किया जाए।

2. मतदान बंद करने के समय पर प्रतीक्षारत मतदाताओं को मतदान कराने के संबंध में :— नियम-46 के अनुसार मतदान बंद करने के समय पर मतदान केन्द्र पर प्रतीक्षारत मतदाताओं को पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रतीक्षारत समस्त मतदाताओं को स्वयं के हस्ताक्षर से पर्ची, पंक्ति के अंतिम छोर से प्रारम्भ करते हुए, जारी करेगा, किन्तु प्रथम चरण के मतदान के समय कतिपय मतदान केन्द्रों पर पीठासीन अधिकारी द्वारा उक्त नियम की पालना में मतदान बंद करने के समय प्रतीक्षारत मतदाताओं को पर्चिया जारी नहीं की गई एवं पर्चियां जारी किए बिना ही ऐसे मतदाताओं से मतदान कराया गया।

कृपया पंच एवं सरपंचों के द्वितीय एवं तृतीय चरण के चुनावों में उक्त नियम की पालना हेतु मतदान कार्मिकों को निर्देशित करें।

3. पंच एवं सरपंच की मतगणना के संबंध में :— आयोग के पत्रांक 757 दिनांक 16.01.2020 एवं 877 दिनांक 18.01.2020 के द्वारा भीड़-भाड़ से बचने एवं कानून व्यवस्था की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए निर्देश प्रदान किए हैं कि सरपंच पद की मतगणना पहले कर परिणाम जारी कर दिया जाए तत्पश्चात् पंच पदों की मतगणना का वास्तविक कार्य प्रारम्भ किया जाए, किन्तु कतिपय बूथों पर पंच पदों के लिए मतगणना कार्य पहले कर परिणाम सरपंच पद के परिणाम से पूर्व जारी कर दिए गए।

इस क्रम में पुनः निर्देश प्रदान किए जाते हैं कि द्वितीय एवं तृतीय चरण के चुनावों में पहले सरपंच पद की मतगणना कर परिणाम जारी किया जाकर पंच पदों के लिए वास्तविक मतगणना का कार्य प्रारम्भ किया जाए।

आज्ञा से,


(श्याम सिंह राजपुराहित)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव

www.rajteachers.com